

फर्द अहकाम 2020/00164

सुप्रीम कोर्ट न्यायिक प्रशासन

राजमदीय बनाम सरकार

दस्ता संख्या / वर्ष

83/2020

| दिनांक आदेश या कार्यवाही | आदेश विवरण का संक्षेप | विशेष विवरण |
|--------------------------|--|-------------|
| 26/1/21 | <p>राजमदीय को 26/1/21 को कार्यवाही दिनांक 6/9/21 को पत्र भेजा।</p> | |
| 6/9/21 | <p>राजमदीय को 6/9/21 को पत्र भेजा।</p> | |
| 6/9/21 | <p>राजमदीय को 6/9/21 को पत्र भेजा।</p> | |
| 4/10/21 | <p>राजमदीय को 4/10/21 को पत्र भेजा।</p> | |
| 4/10/21 | <p>राजमदीय को 4/10/21 को पत्र भेजा।</p> | |
| 25/11/21 | <p>राजमदीय को 25/11/21 को पत्र भेजा।</p> | |
| 25/11/21 | <p>राजमदीय को 25/11/21 को पत्र भेजा।</p> | |
| 08/03/22 | <p>राजमदीय को 08/03/22 को पत्र भेजा।</p> | |
| 08/03/22 | <p>राजमदीय को 08/03/22 को पत्र भेजा।</p> | |
| 08/03/22 | <p>राजमदीय को 08/03/22 को पत्र भेजा।</p> | |

राजमदीय को 08/03/22 को पत्र भेजा।

2020/00/64

| क्र. सं. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|----------|---------------------------|--|
| | | <p>एक अवलोकन एवं वमीलवादी को वाड फन पर सुनने एवं वमीलवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यान रखी अवलोकन करने के पश्चात वाडी को नाम शमनारायण के स्थान पर शमनराय स्थित जूना उचित प्लॉट नं. वाडी का वाड स्वीकार किया जाता वाड गस्त ग्रंथि ख. नं. 57/2 ख. नं. 1 वीध 9 कि. मी. स्थित ग्राम देवापुरा तहसील कस्बा जिला धरमपुर में शमनराय प्लॉट में वाडी का नाम शमनारायण के बजाय शमनराय उर्फ शमनारायण कि. शमन जाती मोगा नि. देवापुरा तह. कस्बा उदात्त विधे जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार कस्बा को आदेश दिया जाता है कि उक्त वाड गस्त ग्रंथि में उम्मातुसा उदात्ती की जगह शमनराय प्लॉट में उम्मातुसा देवापुरा स्थित जावे। डिप्टी पब्लिक जागी हो। निर्णय व डिप्टी पब्लिक को देतु तस्वीर जारी हो। फावली फोर्स धुमा होकर वाड तहसीलदार को देता हो।</p> <p style="text-align: center;">105</p> <p style="text-align: center;">सद. ज. ज. ज. कलेक्टर बस्ती जिला धरमपुर</p> |

डिकी मुकदमा इबादाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी शिवचरण शर्मा (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

| वादी | बनाम | प्रतिवादी |
|--|--|--|
| रामसहाय पुत्र राम जाति मीना निवासी बस्सी जिला जयपुर। | ग्राम देवापुरा तह बस्सी जिला जयपुर। | 1 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तह बस्सी जिला जयपुर। |

दावा बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0 83/20

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि ख.नं. 57/2 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा स्थित ग्राम देवापुरा तह. बस्सी जिला जयपुर में राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामनारायण के बजाय रामसहाय उर्फ रामनारायण पि. रामू जाति मीना निवासी देवापुरा तह. बस्सी दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तहसीलदार बस्सी को आदेश दिया जाता है कि उक्त वादग्रस्त भूमि में उक्तानुसार दुरुस्ती की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।निजी..... मुबलिक..... बाबत..... खर्चा..... इस मुकदमें का मय सूद वगैरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक..... को अदा करें।

बस्सी में दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 08.03.2022 को जारी किया गया।

दस्तख्त.....

| मुद्दाई | रुपये | पैसे | मुद्दायलह | रुपये | पैसे |
|----------------------|-------|------|----------------------|-------|------|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प बकालतनामा | | | स्टाम्प बकालतनामा | | |
| स्टाम्प बहत सबूत | | | स्टाम्प बहत सबूत | | |
| महन्ता वकील | | | महन्ता वकील | | |
| खर्चा गवाहन | | | खर्चा गवाहन | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | | बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| मुतफरिफ | | | मुतफरिफ | | |
| मी जान | | | मी जान | | |

नोट: इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर बस्सी जयपुर
बस्सी जिला जयपुर